



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.

/2018 पुनरीक्षण

ग्रामराम|शेवा|मुकुर|२०१८|०१०८०

रामगोपाल पुत्र रामकृष्ण पटेल लोहार

निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील हनुमना
जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदक

श्री रामगोपाल आवेदक अधिकारी

द्वारा आज दि. 6-2-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्फ इन्होंने
दिनांक 21-2-8 नियम।

वास स्थान दलखकार
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 6-2-18

विरुद्ध

1. मुस. कौशिल्या बेवा स्व. बहोरे पटेल
 2. शिवबहोर पिता स्व. बहोरे पटेल
 3. विजयशंकर पिता स्व. बहोरे पटेल
 4. रमाशंकर पिता स्व. बहोरे पटेल
- सभी निवासीगण ग्राम पांती महतमान
तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण
क्रमांक 76 /अप्रैल/अ-66/2016-17 में पारित आदेश
दिनांक 22.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. वास स्थान दलखकार
अधिनियम 1980 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1-- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2-- यह कि, आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के समक्ष बास स्थान दखलकार अधिनियम (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1980 की धारा 6 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि आराजी

(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबति आदेश प्रक्र.

प्रकरण क्रमांक II/६७०।/४११/२२।/१८।/०८।/१०८०

ग्रन्ती/प्र०।/२२।.८।२।०८।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
०८।०।।१९	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>कुलदीप। राजपूत</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला - <u>कुलदीप। (क.प.)</u> के प्रकरण क्रमांक ७६।३१५।८।३।६६।१६।१७ में पारित आदेश दिनांक <u>२२।१२।१७</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग - <u>कुलदीप। (क.प.)</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२३।०९।।१९</u> को संभागीय आयुक्त - <u>कुलदीप। (क.प.)</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p> 	